

<p>तारीख हुक्म</p>	<p>हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज</p>	<p>नम्बर व तारीख अदालत जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए</p>
<p>19.01.18</p>	<p>अधिवक्ता प्रार्थी श्री अनूप शर्मा उपस्थित। प्रा0 पत्र दर्ज रजिस्टर करें। मूल प्रकरण के साथ दिनांक 27.02.2018 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">जिला कलेक्टर दौसा</p>	
<p>27.02.18</p>	<p>आज Po महेन्द्राजी देवपार... होने से तारीख पेशी दी गई। गत आदेशों की पालना में दिनांक 21.03.18 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">जिला कलेक्टर, दौसा</p>	
<p>21.03.18</p>	<p>अधिवक्ता अपी० व राजकीय अधिवक्ता अपी० मूल प्रकरण के साथ दि० 17.04.18 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">जिला कलेक्टर दौसा</p>	
<p>17.04.18</p>	<p>आज Po महेन्द्राजी देवपार... होने से तारीख पेशी दी गई। गत आदेशों की पालना में दिनांक 28.05.18 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">जिला कलेक्टर, दौसा</p>	
<p>13<sup>06</sup>/<sub>18</sub></p>	<p>अधिवक्ता उपमपक्ष उप०। मूल प्रकरण का निर्णय ही न्युवा है। इसलिए डा. पत्र स्थगन विचाराधीन रखे जाने का कोई औचित्य नहीं है। अतः प्रार्थी का स्थगन डा. पत्र खारिज किया जाता है। मूल प्रकरण में संलग्न रहे। खुले न्यायालय सुनाया गया।</p> <p style="text-align: right;">जिला कलेक्टर दौसा</p>	

